प्रेस नोट थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर दिनांक 31.10.2025

लूट का अपराध कारित करने के आरोप में 01 नफर वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा लूट के अपराधों पर अंकुश लगाने एवं अपराधियों की गिरफ्तारी के संबंध में चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक नगर के मार्गदर्शन में व क्षेत्राधिकारी कैण्ट के पर्यवेक्षण में व प्रभारी निरीक्षक कैण्ट के नेतृत्व में उ0नि0 सुधाशु सिंह मय पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 242/2024 धारा 392 भादवि से संबंधित वांछित अभियुक्त राजा कुमार उर्फ गोलू को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 20.04.2024 को वादी रेलवे बस स्टेशन के पास अपना फोन चला रहा था कि अभियुक्त अपने साथियों के साथ मोटरसाइकिल से आकर, वादी के हाथ से मोबाइल छीन कर भाग गया। जिसके संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार मुकदमा उपरोक्त पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

राजा कुमार उर्फ गोलू पुत्र ढोडे निवासी कालीमंदिर के पास वाली गली थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर

गिरफ्तारी के अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0 242/2024 धारा 392 भादवि थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर

गिरफ्तारी की टीम-

1. उ0नि0 सुधांशु सिंह चौकी प्रभारी रेलवे थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर
2. कां0 धनवन्तर वर्मा थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर
3. कां0 मनीष कुमार त्रिपाठी थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर